मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2016 (श्रावण 4, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 206 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 228 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

(1) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

श्रीमती इमरती देवी, सदस्य शासकीय कार्यों के भूमिपूजन/लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2820) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आईं और अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने स्थान पर गईं.

(2) इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान होने से कार्यवाही स्थगित की जाना

श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य ने चंदला विधान सभा क्षेत्र में रेत/बालू माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान, खनिज साधन मंत्री के उत्तर से असंतोष व्यक्त किया. इसी बीच गोपाल भार्गव, पंचायत मंत्री की टिप्पणी से नाराज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सदस्यगण अपनी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए और अध्यक्ष महोदय की समझाइश पर वापस अपने-अपने आसनों पर गये तथा कुछ समय पश्चात् पुन: गर्भगृह में आ गये. अत्यधिक व्यवधान के कारण मध्याह्न 12.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाकर 12.21 बजे पुन: समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल में चर्चा संबंधी व्यवस्था के प्रश्नों को अग्राह्य करने तथा माननीय सदस्यगण द्वारा उठाये गये किसी मुद्दे पर चर्चा के बाद, सदन स्थगित होकर समवेत होने पर उसी चर्चा को पुन: उठाने की अनुमति न होने विषयक

सदन पुन: समवेत होने पर, श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से सहमति व्यक्त की गई. इस पर श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि जिस समय प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय को देना था, उस समय जवाब क्यों नहीं दिया ? यह सदन और विधायकों का अपमान है. यदि उसी समय मंत्री महोदय जवाब दे देते तो बात इतनी नहीं बढ़ती सदन 10 मिनट के लिए स्थगित होने के दौरान उनके दल के 40 विधायकों ने मंत्री महोदय को घेरा था, तब जाकर यह जवाब दिया है. इस पर उपाध्यक्ष महोदय से व्यवस्था की मांग की.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि सम्मानित सदस्यों का यह कहना है कि सदन के बाहर जवाब दिया है. अभी तक जब भी सदन में व्यवधान होता है तब विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जिस तरफ से व्यवधान आता है उस पक्ष को, मंत्री को या नेता प्रतिपक्ष को बुलाकर उस विषय पर बात करते हैं. आज भी अध्यक्ष महोदय ने सम्मानित सदस्य एवं मंत्री को बुलाकर सदन को व्यवस्थित चलाने के लिए समाधान किया. इसमें सदन के बाहर कोई जवाब नहीं दिया है. माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे उसी वक्त प्रश्नकाल समाप्त की घोषणा आसंदी से की गई थी इसके बाद सम्मानित सदस्य ने उठकर कह दिया कि मैं अब संतुष्ट हूं. इसलिए यह विषय समाप्त हो जाता है . आपके पास आकर हम समाधान करते हैं या नहीं, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखी कि माननीय सदस्य का समाधान हो गया है. ऐसी पहले भी परम्परा रही है. श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी विषय को उठाकर कहा कि समस्या सदस्य की नहीं, सदन की थी. जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन में ही कहा है कि उनका समाधान हो गया है तो अब उसमें कोई विषय कैसे उठता है ?

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन में प्रश्नकाल में एक घण्टे के निर्धारित समय में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हमें सदन में जवाब मिल जाये. सदस्य का प्रश्न चर्चा में आया, उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए यहां तक कहा कि अगर मेरी बात गलत सिद्ध हो तो मेरा इस्तीफा ले लो, मेरे खिलाफ एफआईआर करा दो और मुझे निलम्बित कर दो. माननीय सदस्य के अधिकारों की रक्षा हेतु मैं आसंदी से निवेदन करता हूं. उसके बाद सदन स्थगित हो गया. सदन के बाहर मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया ? चूंकि उनकी पार्टी के 40 विधायक इकट्ठे हुए. यह क्या सदन की गरिमा को भंग करने का सवाल नहीं है ? जो प्रश्न सदन में पूछा गया उसका जवाब भी आना चाहिये, यह नियमों में भी प्रावधान है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - मैंने संसदीय कार्य मंत्री को अनुमति दी है. ऐसी व्यवस्थाएं पूर्व से हैं कि यदि कोई सदस्य पाइंट ऑफ आर्डर उठाये, तो संसदीय कार्य मंत्री से या किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जा सकती है. अभी प्रश्नकाल के बाद में माननीय सदस्यों ने कुछ विषय यहां उठाये थे, उस पर पाइंट्स ऑफ आर्डर्स भी उठाये गये माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक महोदय, श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री ने पाइंट्स ऑफ आर्डर्स के बारे में अपनी बात कही. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि समाधान हो गया है किंतु सदस्यगण यह जानना चाहते थे कि समाधान क्या हुआ. इस संबंध में मैं आपको जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं – "प्रश्नकाल में जो प्रश्न उठाया गया था उसकी जांच के संबंध में मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था, उसके बाद में व्यवधान हुआ और मेरे बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ, जबकि सदस्य और मंत्री जी, सदस्य प्रश्न पूछना जारी रखना चाहते थे और मंत्री जी उत्तर देना भी चाहते थे. प्रश्नकाल समाप्त हो गया और उसके बाद में माननीय सदस्य ने यहां कहा कि उनका समाधान हो गया है वह संतुष्ट हैं. इसके संबंध में जो आसन्दी की अध्यक्षीय व्यवस्था है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं. प्रश्नकाल के समय किसी मुद्दे पर चर्चा हुई हो और अपराह्न में भोजन अवकाश के बाद या स्थगित होने के बाद विधान सभा जब समवेत् हुई हो तो वह मामला नहीं उठाया जा सकता इसीलिये यह व्यवस्था का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है और सदन की कार्यवाही आगे जारी रहेगी".

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण कार्य को रोकने से समस्या उत्पन्न होने,
(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की करेली नगर पालिका क्षेत्र में नर्मदा जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार किये जाने,
(3) कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की नगर पंचायत मंझौली जिला सीधी में बस स्टैण्ड संबंधी समस्या होने,
(4) श्री मधु भगत, सदस्य की अध्यापकों के छठवे वेतनमान के आदेश मध्यप्रदेश शासन द्वारा वापस लेने,
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की मध्यप्रदेश परिसर किरायेदारी अधिनियम, 2010 के मुताबिक किराये एवं अपीलीय अधिकरण राज्य सरकार द्वारा न बनाये जाने,
(6) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की शासकीय महाविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों संबंधी प्रकरण लंबित होने,
(7) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपश्र की जिला श्योपुर की कराहल तहसील की पंचायत जाखदा में सरपंच/सचिव द्वारा किये गये घोटाले की जांच करने,
(8) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की आने वाले त्यौहारों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध एवं इस्तेमाल न करने का प्रचार प्रसार करने,
(9) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की सीहोर कृषि उपज मंडी में धर्मकांटे की तौल संबंधी समस्या उत्पन्न होने तथा
(10) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में पेंच नेशनल पार्क में बाघ एवं तेंदुओं की मौतें होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में उल्लेख

ग्वालियर जिले में दलितों के साथ पुलिस द्वारा अभद्र दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न किये जाने विषयक

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य ने विषय उठाया कि - ग्वालियर में सरकार की शह पर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा दलित बस्तियों में घुसकर बहन, बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर शराब के नशे में घरों में घुसकर छेड़खानी की जा रही है उनपर जबरन मुकदमे लगाकर जेल में बंद करने की धमकी दी जा रही है. इससे पूरे ग्वालियर जिले में दलितों का उत्पीड़न होने के कारण रोष व्याप्त है.

6. गर्भगृह में प्रवेश

बहुजन समाज पार्टी एवं इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गर्भगृह में आये तथा नारे लगाये तथा कुछ समय पश्चात् आसंदी की समझाईश पर वापस आसनों पर गए.

उपाध्यक्ष महोदय(डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने –

(क) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2016-1-पांच (25), दिनांक 2 अप्रैल, 2016, तथा

(ख) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2016-1-पांच (22), दिनांक 31 मार्च, 2016

पटल पर रखीं.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2015-16 पटल पर रखे.

(3) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने –

(क) ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं - (i) क्रमांक 2493-एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 एवं (ii) क्रमांक एफ-03-02-2011-तेरह, दिनांक 14 जून, 2016

(ख) (i) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, (ii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्न अधिसूचनाएं - (i) क्रमांक 894-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 30 मई 2016, (ii) क्रमांक 900/2016, दिनांक 31 मई, 2016

पटल पर रखीं एवं रखे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-18-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 11 मार्च, 2016 पटल पर रखी.

(5) श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ने एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-2014 पटल पर रखे.

8. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयवर्धन सिंह एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने प्रदेश में कृषकों से प्याज खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. बहिर्गमन

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सरकार द्वारा किसानों को प्याज का भुगतान न किए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया

10. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) सर्वश्री दिलीप सिंह परिहार, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, अशोक रोहाणी, इंजी. प्रदीप लारिया, सर्वश्री तरूण भनोत एवं शैलेन्द्र जैन, सदस्यगण ने नीमच एवं जबलपुर के केंन्टोनमेंट क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 7(1) में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.)

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्यानवेवां से एक सौ एक वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री अंचल सोनकर, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(2) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(3) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(4) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(5) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(6) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(7) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(8) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(9) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(10) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(11) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(12) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा
(13) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(14) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(15) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(16) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(17) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(18) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(19) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(20) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(21) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(22) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(23) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(25) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(26) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(27) श्री नारायण त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(28) श्री महेश राय (जिला-बीना)
(29) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(30) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(31) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(32) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(33) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(34) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(35) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(36) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(37) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना)
(38) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(39) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(40) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(41) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(42) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(43) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(44) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(45) श्री संदीप जायसवाल (जिला-कटनी)
(46) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(47) श्री कमलेश्वर पटेल (जिला-भोपाल)

13. संविहित संकल्प

श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

(क) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1524-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 276, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता हैं.".

संकल्प स्वीकृत हुआ.

श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

(ख) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1528-फा (2) 13-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 277, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.". एवं

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

(ग) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1526-फा (2) 14-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 278, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है. ".

संकल्प स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(अपरान्ह 1.55 से 3.37 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुये.

(3) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) डॉ. मोहन यादव
(4) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष
(5) श्री देवेन्द्र वर्मा
(6) श्री पन्नालाल शाक्य

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संशोधन संबंधी यह प्रस्ताव किया कि -

खण्ड 4 में, उपखण्ड 9-ख के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् -

"9-ग निजी विश्वविद्यालय किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए विनियामक आयोग को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा और परीक्षा के पश्चात् विनियामक आयोग उक्त विश्वविद्यालय को एक सी कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित कर सूचित करेगा."

मंत्री महोदय के उत्तर के प्रकाश में माननीय सदस्य ने संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया.

संशोधन वापस हुआ.
खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 2, 3, 5 एवं 6 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष
(3) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016 (श्रावण 5, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 26 जुलाई, 2016